

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 206/2021

तारीख रजू 11.01.2021

दावा बावत् विभाजन कृषि आराजीयात व स्थाई निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2021/9

उनवान - सुमरन बनाम कमलेश वगै०

उनवान

सुमरन पुत्र सोनपाल जाति जाटव निवासी बन्ध का पुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली

—वादी

बनाम

कमलेश पुत्री सोनपाल पत्नि हेमसिंह जाटव वगै० जाति जाटव निवासी पनवेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली

—प्रतिवादीगण 20

दिनांक	फर्द अहकाम
11.01.2021	आज यह वाद पत्र वादी की ओर से श्री सीताराम गुर्जर एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 05.02.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली
5/02/2021	पत्रावली पेश हुई बकुलाय उपस्थित पत्रावली पूर्वानुसार वास्ति.....तलबी..... दिनांक 11.05.2021 को पेश हो।
11/5/2021	बकुलाय उपस्थित/पेशावली अधिकारी...को पेश हो। प्रश्न है। गतानुसार दिनांक 30-7-2021
22/7/2021	पत्रावली द्वारा वादी व वादी वकील द्वारा मिशल तलबी के पत्र पर पेश की गई। वादी व वादी वकील द्वारा प्रकरण में डायरी चलाना की चाहे। प्रकरण नोटिस में आरंभ करना चाहे। अहः मु० नं० 206/2021 सुमरन बनाम कमलेश वगै० क्षमा नोटिस दिनांक 11/5/2021 को पेश हो। पत्रावली दिनांक 5/2/2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)